

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष:- श्री एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 35-एक/1990 के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 22-02-1989 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 50-अ/23/1984-85/अपील

.....

- 1- घनश्याम प्रसाद पिता गुट्टीलाल कसाल(मृतक) वारिसान:-
1. नरसिंहदास
 2. श्रामसिंह
 3. भरतसिंह
 4. खिलोधन प्रसाद, पुत्रगण स्व० श्री घनश्याम प्रसाद निवासीगण- वारासिवनी, जिला-बालाघाट, (म०प्र०)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मुस० दशोदाबाई बेवा समारू गौड़
निवासी-ग्राम लवादा टोला, चिल्लोद
तहसील-वारसिवनी, जिला-बालाघाट,
- 2- प्रताप पुत्र चमरूलाल
निवासी-बड़गांव, तहसील-वारसिवनी, जिला-बालाघाट
- 3- मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री के०के० द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र० 3

आदेश

(आज दिनांक 2.11.16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-02-1989 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

Mu

K

अपने साक्ष्य में बताया है कि सन् 62 से मकान बना रह रहा हूँ, उक्त कथन न मानते हुये जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। पंजीयन बैनामा दिनांक 29.12.60 के अनुसार राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रमाणिकरण कर विवादित भूमि आवेदक के भूमिस्वामी हक में प्रोदभूत हो जाने के पश्चात बिना जांच किये धारा 170 के तहत प्रमाणीकरण को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं, जिसकी जांच न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है। आवेदक का विवादित भूमि में रहवासी मकान है, जिसमें कुआ एवं बांडी है व अन्य कोई उपजाऊ भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर जो 0.3 डि० भूमि में मकान बना है को बिना साक्ष्य लिये व साक्ष्य देने का आवेदक को अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सन् 1986 रा०नि० 243 के निर्णय को मानते हुये जो आदेश आवेदक के विरुद्ध पारित किया है वह पूर्णतः विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अतः ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाकर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक क्र० 1 व 2 के वारिसों को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5/ मैंने आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेशों में बतलाया गया है, यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि की बिक्री जरिये रजिस्टर्ड बैनामा मुस० हंसी बेवा रामलाल गौड़ ने आवेदक को दिनांक 29.12.1960 को की। आवेदक तब से उस भूमि पर काबिज है। यह भी स्पष्ट है कि है कि विक्रेता मुस० हंसीबाई के वारिसान पुत्री मुन्नी बाई द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है तथा वह भूमि वापस नहीं चाहती। परन्तु इस प्रकरण में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या धारा 170(ख) म०प्र० भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) के विरुद्ध किया गया विक्रय तथा उसके द्वारा मान्य हस्तांतरण को कानूनी रूप दिया जा सकता है। इस संबंध में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा सन् 1986 रे०नि० 243 का उल्लेख किया है, जिसके अन्तर्गत

Om

Rajeev


राजस्व, मण्डल द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि इस धारा के अन्तर्गत केवल उन्हीं अंतरणों पर विचार किया जा सकता है जो कि छल-कपट पूर्वक किये गये हों। यदि जांच करने पर अंतरण कपट पूर्ण नहीं है तो नामांतरण का आदेश धारा 170 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिये कलेक्टर द्वारा धारा 50 के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

6/ प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक ने संहिता की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर से अंतरण की स्वीकृति क्रय करते समय नहीं प्राप्त की थी। इस कारण उक्त विक्रय पत्र प्रभाव शून्य हो जाता है। आवेदक द्वारा यह कहना कि उसे उस समय यह मालूम नहीं था कि कानूनन कलेक्टर से धारा 165(6) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करना चाहिये। उसे कानून के प्रावधान से बाहर नहीं किया जा सकता। आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक क्रय की गई तारीख से उक्त भूमि पर अपना मकान बनाया है तथा लगातार अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आवेदक के विरुद्ध धारा 170 से संबंधित कार्यवाही नहीं की जा सकती। आवेदक द्वारा निर्मित मकान को संभवतः देखते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने 0.3 डिसिमिल रकबा का अंतरण उचित माना है तथा शेष रकबा 0.11 एकड़ को संहिता की धारा 165(6) का उल्लंघन मानते हुये आवैध मान्य किया है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, तथा अपर कलेक्टर बालाघाट का आदेश विधिसम्मत है तथा उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं। इस प्रकारण में धारा 170-बी(1) के अन्तर्गत भी आवेदक को समय के अन्दर अनुविभागीय अधिकारी को सूचित किया जाना था। परंतु मूल प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रकरण में कार्यवाही राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से प्रारंभ की गई है। इस प्रकार आवेदक उक्त धारा के अन्तर्गत समय से सूचना नहीं देने का दोषी पाया जाता है एवं धारा 170-बी(2) के अन्तर्गत भी विवादित भूमि विक्रेता के वारिसान को वापस हो जाना चाहिये। अपर आयुक्त जबलपुर ने भी अपने आदेश में इसी बिन्दु पर जोर दिया है कि आवेदक उक्त धारा के अन्तर्गत समय से सूचना नहीं देने का दोषी पाया जाता है। अतः अपर आयुक्त ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। मेरे मतानुसार अपर आयुक्त जबलपुर ने जो आदेश पारित किया है वह विधिनुकूल है।

M

R

ऊपर की गई विवेचना के आधार पर यह निगरानी आवेदन अस्वीकार किया जाता है ।
अपर आयुक्त जबलपुर का आदेश दिनांक 22-02-1989 विधि संगत होने से स्थिर रखा जाता
है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो । प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड है ।


(एम०के० सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

